

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गावां, गिरिडीह ।

<p>केस का प्रकार – विविध वाद</p> <p>वाद संख्यां-01 वर्ष 2023-24</p>		
<p>आदेश का क्रम संख्यां एवं तारिख</p>	<p>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित।</p>
	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>राजस्व उप-निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार वर्णित मौजा पटना थाना नं 278 खाता नं 83/1 प्लॉट नं 653, 654, 648 एवं 646 रकवा 0.19 एकड वो 0.33 एकड वो 0.05 एकड एवं 0.02 एकड कुल रकवा 0.59 एकड भूमि महादेव पाण्डेय के नाम से जमाबंदी कायम होकर वर्ष 2007-08 तक है। पंजी ॥ पृष्ठ संख्यां 532 भोलूम । पर खाता नं 83 रकवा 0.10 एकड भूमि रोहन बढई वगैरह के नाम से ऑनलाईन पंजी ॥ पर दर्ज है परन्तु खाता नं 83 रकवा 0.98 एकड भूमि मैनूयल पंजी ॥ में दर्ज नहीं है।</p> <p>प्रथम पक्ष के द्वारा बतलाया गया कि मेरे पूर्वज को भूमि दररैयत से हासिल है। जिस पर मैं और मेरे पूर्वजों के द्वारा वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। द्वितिय पक्ष के द्वारा बतलाया गया है कि वो रोहन बढई के बंशज हैं एवं वर्तमान में अपने पैतृक भूमि पर खेती कर रहे हैं।</p> <p>पक्षकारों को सुनने एवं संबंधित राजस्व कागजातों के अवलोकनोपरान्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। उभय पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय जाने हेतू स्वतंत्र है।</p> <p>लेखापित एवं संसाधित अंचल अधिकारी, गावां।</p> <p>अंचल अधिकारी, गावां।</p>	